

सं. ए.12018/04/2022-डीआरएस
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषध विनियमन अनुभाग)

दिनांक: 08 जुलाई, 2022

सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषध प्रयोगशाला (सीडीएल), कोलकाता, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में लेखाकार के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। निर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. कृपया टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 या drugdiv-mohfw@gov.in पर भेजें।

संलग्नक: उपर्युक्त

(विकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:- 011-23061141

अधिसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखाकार	01	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल- 4, (25,500/- - 81,100/-रु.)	अचयन	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच
सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।			क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा ,में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	
(7)			(8)	(9)	
अनिवार्य अर्हता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक डिग्री।			नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। पदोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य	
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>100% प्रोन्नति द्वारा जिसके असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के असफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति: ग्रेड में 08 वर्ष की नियमित सेवा वाले लोअर डिविजन क्लर्क।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ स्वायत्तशासी निकाय/अन्य सरकारी अपिलीय शैक्षणिक संस्थान के अधिकारी जो:</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करते हैं या</p> <p>(ii) जिनके पास लोअर डिविजन क्लर्क अथवा समकक्ष में 08 वर्षों की नियमित सेवा हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय समिति (प्रोन्नति एवं स्थायीकरण के विचारार्थ हेतु) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:</p> <p>(1). निदेशक, सीडीएल, कोलकाता- अध्यक्ष</p> <p>(2). उप- निदेशक, (सीडीएससीओ)- सदस्य</p> <p>(3). समूह 'क' अधिकारी, सीडीएल, कोलकाता</p>	<p>लागू नहीं</p>

[फा.सं. ए.12018/04/2022-डीआरएस]

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार